



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 723]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2017/फाल्गुन 23, 1938

No. 723]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2017/PHALGUNA 23, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2017

का.आ. 804(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1705(अ) तारीख 10 मई, 2016, पर्यावरणीय अनापत्ति के निदेश निबंधनों को अनुदत्त करने के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, जिनमें स्थल पर कार्य आरंभ कर दिया है, पर्यावरणीय अनापत्ति की सीमा से परे उत्पादन का विस्तार किया है या पर्यावरण संघात अधिसूचना 2006 के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अभिप्राप्त किए बिना उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन किया है, द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी ;

2. और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 10 मई, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;
3. और पूर्वोक्त वर्णित प्रारूप अधिसूचना पर प्राप्त सभी सुझावों या आक्षेपों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक्तः विचार कर लिया गया है ;
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अध्यधीन, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति है, जो वह पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और समाप्त करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक और समीचीन समझती है ;
5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 केंद्रीय सरकार को निदेश देने के लिए सशक्त करती है, जो इस प्रकार है "केंद्रीय सरकार किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को लिखित निदेश दे सकेगी और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आवद्ध होगा ;

6. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उल्लंघन के मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने के लिए प्रक्रिया स्थापित करने के लिए तारीख 12.12.2012 और तारीख 27.06.2013 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है ;

7. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में 2014 की रिट याचिका (सिविल) सं0 2364 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के तारीख 28 नवंबर, 2014 के आदेश के अनुसरण में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि तारीख 12 दिसंबर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन के अधीन पैरा सं0 5(i) और पैरा सं0 5(ii) की शर्तें अवैध और असंवैधानिक थीं और न्यायालय ने यह और अभिनिर्धारित किया कि अभिकथित अतिक्रमण की कार्रवाई स्वतंत्र कार्यवाही और पृथक् कार्यवाही होगी और इसलिए पर्यावरण अनापत्ति के लिए प्रस्ताव पर विचार करने के लिए परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। माननीय न्यायालय ने यह व्यवस्था और दी कि पर्यावरण अनापत्ति के प्रस्ताव की परीक्षा इसके गुणागुण, पर्यावरण विधियों के अभिकथित अतिक्रमण के लिए किसी प्रस्तावित कार्रवाई से मुक्त आधार पर की जानी चाहिए ;

8. और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ ने 2015 के मूल आवेदन सं0 37 तथा 2015 के मूल आवेदन सं0 213 में तारीख 7 जुलाई, 2015 के अपने आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के अतिक्रमणों वाले निर्देश के निबंधनों या पर्यावरण अनापत्ति या तटीय विनियमन जोन अनापत्ति के प्रस्तावों पर विचार के विषय पर तारीख 12 दिसंबर, 2012 और 24 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उपबंधों को परिवर्तित या संशोधित नहीं कर सकते थे और अधिकरण ने उसे अपास्त कर दिया था ;

9. और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को कतिपय प्रस्ताव, निर्देशों के निबंधनों और पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए प्राप्त हो रहे हैं, जिन्होंने स्थल पर कार्य आरंभ कर दिया है, पर्यावरणीय अनापत्ति की सीमा से परे उत्पादन का विस्तार किया है या पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति को प्राप्त किए बिना उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन कर दिया है ;

10. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार के प्रयोजन के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण का उपशमन करने के लिए यह आवश्यक समझा कि वह सभी निकाय, जो पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन पर्यावरण विनियम का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, को समीचीन रीति में पर्यावरणीय विधियों की अनुपालना के लिए उसके अंतर्गत लाया जाए ;

11. और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऐसी परियोजनाओं और क्रियाकलापों को शीघ्रतम पर्यावरणीय विधियों की अनुपालना के अधीन लाना आवश्यक समझता है न कि उन्हें अविनियमित और बिना किसी जांच के छोड़ना, जो पर्यावरण के लिए अधिक नुकसानदायक होगा तथा इस उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए भारत सरकार ऐसी सत्ताओं को, जो अननुपालक थे, अनुपालक बनाने के लिए समुचित रक्षोपायों के साथ पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करना आवश्यक समझती है, प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जो पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के उल्लंघन पर रोक लगाए, जिससे अननुपालना और अननुपालना के धनीय लाभ भयोपरित हों तथा पर्यावरण के नुकसान के लिए समुचित रूप से प्रतिकर हो ;

12. और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंडियन काउंसिल फार एन्वायरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ (बिछड़ी गांव औद्योगिक प्रदूषण का मामला) में 13 फरवरी, 1996 को निर्णय देते समय विधि के सभी सुसंगत उपबंधों का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष दिया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन नुकसानी की वसूली की जा सकती है (1996(3) एससीसी 212)। माननीय न्यायालय ने यह संप्रेक्षित किया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 केंद्रीय सरकार (या, यथास्थिति, उसके प्रतिनिधि) को "ऐसे सभी उपाय करने, जो वह पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और सुधार के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे....." अभिव्यक्त रूप से सशक्त करती है। धारा 5 केंद्रीय सरकार (या उसके प्रतिनिधि) को अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 2(क), धारा 3 और धारा 5 में "पर्यावरण" की विस्तृत परिभाषा के अनुसार केंद्रीय सरकार को ऐसी सभी शक्तियां हैं, जो "पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और सुधार के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन" हैं। केंद्रीय सरकार, ऐसे सभी उपाय करने और ऐसे सभी निदेश जारी करने के लिए सशक्त है, जो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। इस मामले में उक्त शक्तियों के अंतर्गत गाढे कीचड़ को हटाने, उपचारिक उपाय करने और उपचारिक उपाय करने की लागत को उल्लंघन करने वाले उद्योग पर अधिरोपित करने की शक्ति भी है तथा इस प्रकार वसूल की गई रकम का, उपचारिक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए उपयोग करना भी है। माननीय न्यायालय ने यह और संप्रेक्षित किया है कि उपचारिक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित लागत का उद्धरण धारा 3 और धारा 5 में अंतर्निहित है, जिसे अत्यधिक विस्तृत और व्यापक भाषा में व्यक्त किया गया है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और धारा 5 जल और वायु अधिनियमों के अन्य उपबंधों के अतिरिक्त सरकार को ऐसे सभी निदेश करने के लिए और ऐसे सभी उपाय करने के लिए सशक्त करते हैं, जो "पर्यावरण" के संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक या समीचीन हों, जिस अभिव्यक्ति को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(क) में अत्यधिक विस्तृत और व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया है। इस शक्ति के अंतर्गत किसी उद्योग कि निकट किसी क्रियाकलाप को प्रतिषिद्ध करने, उपचारिक उपायों को कार्यान्वित करने का निदेश देने और जहां कहीं आवश्यक हो, उल्लंघन करने वाले उद्योग पर उपचारिक उपायों

की लागत अधिरोपित करने की शक्ति भी है। प्रत्यर्थियों के उपचारिक उपायों की लागत की अदायगी के दायित्व का प्रश्न दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, जिसे अब सार्वभौमिक रूप से ठोस सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है, जैसे “प्रदूषणकर्ता संदाय करता है” का सिद्धांत। “प्रदूषणकर्ता संदाय करता है, सिद्धांत की यह मांग है कि प्रदूषण द्वारा कारित नुकसान को रोकने या उसका उपचार करने की वित्तीय लागत इस वचनबंध, कि जो प्रदूषण कारित करता है या ऐसे माल का उत्पादन करता है, जो प्रदूषण कारित करता है, के साथ होती है।”

13. (1) इसलिए अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (क) और खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि परियोजना या क्रियाकलाप या विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार या आधुनिकीकरण या क्रियाकलाप, जिनके द्वारा पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है भारत के किसी भाग में, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित केंद्रीय सरकार या राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किए बिना, जिसमें प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ क्षमता में वर्धन या दोनों को शामिल किया गया है, को पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उल्लंघन का मामला माना जाएगा और उससे निम्नलिखित रीति में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार व्यौहार किया जाएगा ;

(2) उस दशा में, जब पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाएं या क्रियाकलाप संनिर्माण कार्य आरंभ करने के पश्चात् पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए लायी जाती हैं या जिन्होंने पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के बिना विस्तार, आधुनिकीकरण और उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन किया है, उन परियोजनाओं को अतिक्रमण के मामले के रूप में समझा जाएगा और ऐसे मामलों में यहां तक कि प्रवर्ग ख की परियोजनाएं, जिन्हें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त की गई है, का पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा ही मूल्यांकन किया जाएगा और पर्यावरणीय अनापत्ति केंद्रीय स्तर पर अनुदत्त की जाएगी।

(3) उल्लंघन के मामलों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के उपबंधों के अधीन संबंधित राज्य या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इसके अतिरिक्त परियोजना को पर्यावरण अनापत्ति अनुदत्त किए जाने तक प्रचालन करने के लिए या अधिभोग प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित संबंधित क्षेत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा उल्लंघन के मामलों का यह मूल्यांकन करने के लिए निर्धारण किया जाएगा कि परियोजना का ऐसे स्थल पर संनिर्माण किया गया है जो लागू विधियों के अधीन अनुज्ञेय है और विस्तार किया गया है, जिसको पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षोपायों के साथ पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना के अधीन भरणीय रूप से चलाया जा सकता है ; और उस दशा में जहां विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का निष्कर्ष नकारात्मक है, विधि के अधीन अन्य कार्रवाईयों के साथ परियोजना को बंद करने की सिफारिश की जाएगी।

(5) उस दशा में जहां पूर्वोक्त उप पैरा (4) के बिन्दु पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के निष्कर्ष सकारात्मक हैं, इस प्रवर्ग के अधीन परियोजनाओं को पर्यावरण संघात निर्धारण करने और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए समुचित निदेश निबंधनों के साथ विहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति पारिस्थितिकीय नुकसान, सुधारकारी योजना और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना के निर्धारण पर परियोजना के विशिष्ट निदेश निबंधनों को विहित करेगी और उनको प्रत्यायित परामर्शदाताओं द्वारा पर्यावरण संघात निर्धारण रिपोर्ट में एक स्वतंत्र अध्याय के रूप में तैयार किया जाएगा। पारिस्थितिकीय नुकसान, सुधारकारी योजना तैयार करने और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना के निर्धारण के लिए डाटा का संग्रहण और विश्लेषण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन सम्यक्ता अधिसूचित प्रयोगशाला या राष्ट्रीय जांच और अशांकन प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही प्रयोगशाला द्वारा किया जाएगा।

(6) विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, सुधारकारी योजना और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना से मिलकर बनने वाली पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को उपदर्शित करेगी, जो कि मूल्यांकन किए गए पर्यावरणीय नुकसान और पर्यावरणीय अनापत्ति की शर्त के उल्लंघन के कारण उदभूत आर्थिक फायदे की तत्स्थानी होगी।

(7) परियोजना प्रस्तावक से सुधारकारी योजना और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना की रकम के समतुल्य बैंक प्रत्याभूति को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी और मात्रा की सिफारिश विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा की जाएगी और इसको विनियामक प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा तथा बैंक प्रत्याभूति को पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने

से पूर्व जमा किया जाएगा और उसे मंत्रालय के प्रादेशिक कार्यालय, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् सुधारकारी योजना और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात् निर्मुक्त किया जाएगा।

14. ऐसी परियोजनाएं और क्रियाकलाप, जो इस अधिसूचना की तारीख को उल्लंघनकारी हैं, इस अधिसूचना के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे और परियोजना प्रस्तावक इस अधिसूचना के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए केवल इस अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर ही आवेदन कर सकते हैं।

[फा. सं. 22-116/2015-आईए-III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th March, 2017

S.O. 804(E).—Whereas, a draft notification under sub-section (1), and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 1705(E), dated the 10th May, 2016, as required by sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for finalising the process for appraisal of projects for grant of Terms of Reference and Environmental Clearance, which have started the work on site, expanded the production beyond the limit of environmental clearance or changed the product mix without obtaining prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

2. And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 10th May, 2016;

3. And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government.

4. Whereas, subject to the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, under sub-section (1) of section 3 of the Act, the Central Government has the power to take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling, and abating environment pollution;

5. Whereas, section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 empowers the Central Government to give directions which reads as “Notwithstanding anything contained in any other law but subject to the provisions of this Act, the Central Government may, in the exercise of its powers and performance of its functions under this Act, issue directions in writing to any person, officer or any authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions;

6. Whereas the Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued Office Memoranda dated 12.12.2012 and 27.06.2013 to establish a process for grant of environmental clearance to cases of violation.

7. Whereas, the Hon’ble High Court of Jharkhand had passed an order dated the 28th November, 2014 in W.P. (C) No. 2364 of 2014 in the matter of Hindustan Copper Limited *Versus* Union of India in which the High Court held that the conditions laid down under Office Memorandum dated 12th December, 2012 in paragraph No. 5 (i) and 5 (ii) were illegal and unconstitutional and had further held that action for alleged violation would be an independent and separate proceeding and therefore, consideration of proposal for environment clearance could not await initiation of action against the project proponent. The Hon’ble Court further ruled that the proposal for environment clearance must be examined on its merits, independent of any proposed action for alleged violation of the environmental laws;

8. And whereas, Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench *vide* its order dated 7th July, 2015 in Original Application No. 37 of 2015 and Original Application No. 213 of 2015 had also held that the Office Memoranda dated 12th December, 2012 and 24th June, 2013 on the subject of consideration of proposals for Terms of Reference or Environment Clearance or Coastal Regulation Zone Clearance involving violations of the Environment (Protection) Act, 1986 or Environment Impact Assessment Notification, 2006 Coastal Regulation Zone Notification, 2011 could not alter or amend the provisions of the Environment Impact Assessment notification, 2006 and had quashed the same;

9. And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and State Environment Impact Assessment Authorities have been receiving certain proposals under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 for grant of Terms of References and Environmental Clearance for projects which have started the work on site, expanded the production beyond the limit of environmental clearance or changed the product mix without obtaining prior environmental clearance;

10. Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and abating environmental pollution that all entities not complying with environmental regulation under Environment Impact Assessment Notification, 2006 be brought under compliance with in the environmental laws in expedient manner;

11. And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary to bring such projects and activities in compliance with the environmental laws at the earliest point of time, rather than leaving them unregulated and unchecked, which will be more damaging to the environment and in furtherance of this objective, the Government of India deems it essential to establish a process for appraisal of such cases of violation for prescribing adequate environmental safeguards to entities and the process should be such that it deters violation of provisions of Environment Impact Assessment Notification, 2006 and the pecuniary benefit of violation and damage to environment is adequately compensated for;

12. And whereas, Hon'ble Supreme Court in *Indian Council for Enviro-Legal Action Vs. Union of India* (the Bichhri village industrial pollution case), while delivering its judgment on 13th. February, 1996, analyzed all the relevant provisions of law and concluded that damages may be recovered under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (1996 [3] SCC 212). The Hon'ble Court observed that section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 expressly empowers the Central Government [or its delegate, as the case may be] to "take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of environment.....". Section 5 clothes the Central Government [or its delegate] with the power to issue directions for achieving the objects of the Act. Read with the wide definition of "environment" in Section 2 (a), Sections 3 and 5 clothe the Central Government with all such powers as are "necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of the environment". The Central Government is empowered to take all measures and issue all such directions as are called for the above purpose. In the present case, the said powers will include giving directions for the removal of sludge, for undertaking remedial measures and also the power to impose the cost of remedial measures on the offending industry and utilize the amount so recovered for carrying out remedial measures..... Hon'ble Court has further observed that levy of costs required for carrying out remedial measures is implicit in Sections 3 and 5 which are couched in very wide and expansive language. Sections 3 and 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, apart from other provisions of Water and Air Acts, empower the Government to make all such directions and take all such measures as are necessary or expedient for protecting and promoting the 'environment', which expression has been defined in very wide and expansive terms in Section 2 (a) of the Environment (Protection) Act. This power includes the power to prohibit an activity, close an industry, direct to carry out remedial measures, and wherever necessary impose the cost of remedial measures upon the offending industry. The question of liability of the respondents to defray the costs of remedial measures can also be

looked into from another angle, which has now come to be accepted universally as a sound principle, viz., the "Polluter Pays" Principle. "The polluter pays principle demands that the financial costs of preventing or remedying damage caused by pollution should lie with the undertakings which cause the pollution, or produce the goods which cause the pollution".

13 (1). Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub clause (a) of clause (i) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; the Central Government hereby directs that the projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities requiring prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 entailing capacity addition with change in process or technology or both undertaken in any part of India without obtaining prior environmental clearance from the Central Government or by the State Level Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of Section 3 of the said Act, shall be considered a case of violation of the Environment Impact Assessment Notification, 2006 and will be dealt strictly as per the procedure specified in the following manner:-

(2) In case the projects or activities requiring prior environmental clearance under Environment Impact Assessment Notification, 2006 from the concerned Regulatory Authority are brought for environmental clearance after starting the construction work, or have undertaken expansion, modernization, and change in product- mix without prior environmental clearance, these projects shall be treated as cases of violations and in such cases, even Category B projects which are granted environmental clearance by the State Environment Impact Assessment Authority constituted under sub-section (3) Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall be appraised for grant of environmental clearance only by the Expert Appraisal Committee and environmental clearance will be granted at the Central level.

(3) In cases of violation, action will be taken against the project proponent by the respective State or State Pollution Control Board under the provisions of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 and further, no consent to operate or occupancy certificate will be issued till the project is granted the environmental clearance.

(4) The cases of violation will be appraised by respective sector Expert Appraisal Committees constituted under sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 with a view to assess that the project has been constructed at a site which under prevailing laws is permissible and expansion has been done which can be run sustainably under compliance of environmental norms with adequate environmental safeguards; and in case, where the finding of the Expert Appraisal Committee is negative, closure of the project will be recommended along with other actions under the law.

(5) In case, where the findings of the Expert Appraisal Committee on point at sub-para (4) above are affirmative, the projects under this category will be prescribed the appropriate Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan. Further, the Expert Appraisal Committee will prescribe a specific Terms of Reference for the project on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as an independent chapter in the environment impact assessment report by the accredited consultants. The collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory duly notified under Environment (Protection) Act, 1986, or a environmental laboratory accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research institution working in the field of environment.

(6) The Expert Appraisal Committee shall stipulate the implementation of Environmental Management Plan, comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefit derived due to violation as a condition of environmental clearance.

(7) The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with the State Pollution Control Board and the quantification will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority and the bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation by regional office of the Ministry, Expert Appraisal Committee and approval of the Regulatory Authority.

14. The projects or activities which are in violation as on date of this notification only will be eligible to apply for environmental clearance under this notification and the project proponents can apply for environmental clearance under this notification only within six months from the date of this notification.

[F. No. 22-116/2015-IA-III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.